न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 180 / 2024

भंवराराम पुत्र भूराराम
बनाम
राणाराम पुत्र करनाराम वगैरा

दिनांक 03.12.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर) द्वारा रिमाण्ड मुकदमा नम्बर 22 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 27.5.24 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश इस न्यायालय की पूर्व रा0अ0सं0 309 / 2023 अनवान राणाराम बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 10.8.23 की पालना में पारित किया गया है। न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालेसर को निर्देशित किया गया था कि वे तहसीलदार सेखाला से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जांच की जाकर मौका नक्शा व मौका फर्द तलब कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। उक्त कम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सेखाला के पत्रांक 482 दिनांक 13.5.24 से प्राप्त नवीन मौका रिपोर्ट के आधार पर ग्राम अजीतगढ के ख0नं0 378 में रास्ते की भूमि पर मौके पर 3 जगह पत्थर रोपकर टीनशेड बनाये हुए होना तथा 1 जगह नलकूल स्थित होने व मौके पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज नक्शें में कदीमी रास्ता बंद होने से उक्त स्थान पर कदीमी रास्ता उपलब्ध नही होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.5.24 द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 29.5.23 को मौजा अजीतगढ के ख0नं0 387 / 20, 381, 378, 372 में से ख0नं0 378 में किए गये कदीमी रास्ते के आदेश को अपास्त कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। रेस्पो0 द्वारा उक्त कदीमी रास्ते को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 10.8.23 के बावजूद बंद कर, ट्यूबवेल खुदवाई, जो तहसीलदार की रिपोर्ट में अंकित है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 29.5.23 में ग्राम अजीतगढ के ख0नं0 387 / 20, 381, 378, 372 में स्थित कदीमी रास्ते का आदेश पारित किया गया था, जिसमें से केवल ख0नं0 378 में रास्ते के आदेश को निरस्त किया गया है, जबकि उक्त खसरान के दोनो तरफ रास्ता चल रहा है, बीच में से रास्ते को निरस्त करने में कानूनी भूल की गई है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.5.24 को निरस्त फरमाने का आग्रह किया

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश की पालना में रिमाण्ड प्रकरण सं0 22/2023 पुनः दर्ज कर तहसीलदार सेखाला से नवीन मौका रिपोर्ट तलब की जाकर ख0नं0 378 में कोई कदीमी रास्ता नही होने के कारण अपने पूर्व पारित आदेश दिनांक 29.5.23 को ग्राम अजीतगढ के ख0नं0 387/20, 381, 378, 372 में से ख0नं0 378 में किए गये कदीमी रास्ते के आदेश को अपास्त करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.5.24 पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके आधार पर प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय की पूर्व रा0अ0सं0 309/2023 अनवान राणाराम बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 10.8.23 की पालना में तहसीलदार सेखाला से प्राप्त नवीन मौका रिपोर्ट के आधार पर रिमाण्ड प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.5.24 पारित किया गया है। तहसीलदार सेखाला के पत्र कमांक 482 दिनांक 13.5.24 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 8.5.24 में मौका फर्द रूबरू खातेदार, पक्षकारान व अन्य मौजिज लोगों के बीच बनायी जाने का उल्लेख है, जिसमें अपीलांट एवं अन्य उपस्थित जनों के हस्ताक्षर/अगुठे के निशान करवाये हुए है। अतः वकील अपीलांट का यह कथन कि उसे सुनवाई का अवसर नही मिला, मानने योग्य नही है।

उपरोक्त विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2024 यथावत जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

03.12.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर